''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/[illegible]/2003/[illegible]-01-03.''



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2006—कार्तिक 6, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च, 2006 द्वारा जारी ''छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2006'' को एतद्द्वारा निरस्त करता है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) इस नियम का संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2007'' होगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005);

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा ;

(ग) ''गरीबी रेखा से नीचे'' से अभिप्रेत है, कि छत्तीसगढ़ सरकार के वह नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो ;

(घ) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, उसके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं.

3. अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी :—

(एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई है.

(दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं है परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए. 4 साइज के) को तैयार करने में रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती है, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध करायी जाएगी.

(तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7 (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा.

4. जो आवेदक गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की परिभाषा में नहीं आते हैं, उन्हें नस्ती अवलोकन करने का प्रथम घंटे का शुल्क रुपये 50 (रुपये पचास केवल) होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

Raipur, the 12th October 2006

NOTIFICATION

No. F 2-10/2006/1/6.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby repealed the Chhattisgarh right to information (fees and charge) rules 2006 issued by notification dated 9th March, 2006 and for justification of sub section (9) of section 7 of Right to Information Act 2005, makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement :—**

   (1) These rules may be called the Chhattisgarh right to information (fees and charge) rules 2007.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :—** In the rules unless the context otherwise requires,—

   (a) "Act" means the right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) ;

   (b) "Section" means the sections of the Act ;

   (c) "Below poverty line" means such citizen of state of Chhattisgarh who is declared as below poverty line by the Government of Chhattisgarh ;

   (d) The word and expressions used but not defined in these rules carry shall meaning as have been assigned to them in the Act.

3. Information sought by persons below poverty line under the Act shall be provided free of cost as describe here under :—

   (i) If the information sought relates to his/her life then the information will be provided in the form in which it is demanded.

   (ii) If the information sought is not pertaining to self but if the information can be given in 50 photocopied pages (of A-4 size) or the cost of production of information is within Rs. 100 (Rupees one hundred only) then the sought information will be provided in the form it is sought.

   (iii) If the information sought involves photocopying of more than 50 pages or of the cost of production exceeds Rs. 100 (Rupees one hundred only) then the by recording reasons under section 7(9) of the Act the applicant will be requested to inspect the records/files in the office.

4. The fee for inspection of file for first hour shall be now Rs. 50 (Rupees fifty only) for the persons who do not belong in the definition of below poverty line.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय [illegible]